

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-बरदहनाबालिक लडकी को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने वाला गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी/अपहरण करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 17.06.21 उ०नि० बजरंग कुमार मिश्रा मय हमराह अरविन्द पाल व म०का० सुषमा सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, जांच प्रा०पत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व पेण्डिंग मुकदमा मु०अ०स० 135/2021 धारा 363/366 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़ की विवेचना में मामूर थे कि थाना की जरिये मुखविर द्वारा बताया गया कि उपरोक्त सम्बंधित मुकदमे में वांछित अभियुक्त जिवली मोड पर भागने की फिरात में है। सूचना पर विश्वास कर के उ०नि० मय हमराह कर्मचारी के मौके पर पहुंचे तो पुलिस वालों को देख कर तीनों भागना चाहे की तीनों लोगों को करीब 10 कदम दौड़ा कर पकड़ लिया गया तथा सभी लोगों से बारी बारी उनका नाम पता पूछा गया को उन्होंने अपना नाम क्रमशः 1- बिजय विन्द पुत्र बेचू लाल विन्द – उम्र लगभग 26 वर्ष 2- अमित विन्द पुत्र सुबेदार विन्द – उम्र लगभग 20 वर्ष तथा म०का० सुषमा सिंह के माध्यम से लडकी का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कु० मानसी सिंह पुत्री मंगला सिंह सा० दुबरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 16 वर्ष बताये दोनो को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो यह बताया गया कि साहब हम लोग मोबाइल से बात करते थे हम दोनो मानसी के घर के सामने सड़क पर आकर दि० 15.06.21 को समय लगभग 08.00 बजे रात में मानसी के कहने पर उसको साथ लेकर अपने रिश्तेदारी में चले गये और वही रह रहे थे आज हम लोग चंदीगढ़ जाने वाले थे और जौनपुर के लिए सवारी का इंतजार कर रहे थे कि आप लोगो द्वारा हम लोगो को पकड़ लिया गया। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि किशोरी को शादी के बहाने ले कर भगा ले जा रहा था।

पंजीकृत अभियोग

1- मु०अ०स० 135/2021 धारा 363/366 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- बिजय विन्द पुत्र बेचू लाल विन्द उम्र लगभग 26 वर्ष

2- अमित विन्द पुत्र सुबेदार विन्द उम्र लगभग 20

बरामदगी- पीड़िता कु० मानसी सिंह पुत्री मंगला सिंह सा० दुबरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० बजरंग कुमार मिश्रा मय हमराह अरविन्द पाल व म०का० सुषमा सिंह

थाना बरदह जनपद

आजमगढ़

थाना- रौनापार

गैंगेस्टर एक्ट में दो गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी/गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 17.06.2021 को थानाध्यक्ष तारकेश्वर राय मय हमराह फोर्स द्वारा देखभाल क्षेत्र, भ्रमण व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि परग्राम करखिया मोड़ के पास मु0अ0सं0 103/21 धारा 3(1)यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित दो संदिग्ध अभियुक्त हैं, जो कहीं जाने की फिराक में हैं, यदि जल्दी की जाय तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करते हुए, बताये गये स्थान पर पहुँच कर अभियुक्तगण 1.पप्पू पुत्र गूंगा केवट व 2.नयना देवी पत्नि खुशियाल निवासीगण सरदौली गरथौली बुढ़ानपुर केवटहिया थाना रौनापार आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 103/21 धारा 3(1)यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

- 1.पप्पू पुत्र गूंगा केवट निवासी सरदौली गरथौली बुढ़ानपुर केवटहिया थाना रौनापार आजमगढ़ ।
- 2.नयना देवी पत्नि खुशियाल निवासी सरदौली गरथौली बुढ़ानपुर केवटहिया थाना रौनापार आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 61/16 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना रौनापार आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 103/21 धारा 3(1)यू0पी0गैंगेस्टर एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष तारकेश्वर राय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
2. हे0का0 कृपाशंकर सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
- 3.का0 कीर्ती सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
4. म0का0 राधिका यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

नोट- जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र से 42 व्यक्तियों का 151 सीआरपीसी में चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।